

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
**संकल्प**

सं०-15/सी०डब्लू०जे०सी० (प० चम्पारण) 09-19/2024-.....(15)/रा०, पटना-15, दिनांक-

निगरानी थाना कांड संख्या-045/2021, दिनांक-27.09.2021, धारा-7(a) भा०नि०अधि०, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) के प्राथमिकी अभियुक्त श्री श्यामाकांत प्रसाद, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सदर बेतिया, पश्चिम चम्पारण को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के गठित धावादल द्वारा दिनांक-02.11.2021 को रु० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) रिश्त लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से श्री प्रसाद को न्यायिक हिरासत में शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर भेजा जाने की सूचना प्राप्त हुई। तदोपरान्त विभागीय संकल्प सं०-1021(14), दिनांक-27.12.2021 द्वारा श्री प्रसाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 की कंडिका-1 के उप कंडिका-ग एवं एवं कंडिका-2 के उप कंडिका-क के आलोक में गिरफ्तार किये जाने की तिथि दिनांक-02.11.2021 के प्रभाव से विभागीय संकल्प संख्या-1021(14) दिनांक-27.12.2021 द्वारा निलंबित किया गया।

2. समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के ज्ञापांक-09, दिनांक-21.01.2022 द्वारा आरोपी श्री प्रसाद के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में निम्नलिखित आरोप प्रतिवेदित किये गये :-

(1) निगरानी थाना कांड सं०-045/2021 दिनांक 27.09.2021, धारा-7(a) भा०नि०अधि०, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के प्राथमिकी अभियुक्त श्री श्यामाकांत प्रसाद, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सदर बेतिया, पश्चिम चम्पारण को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के गठित धावा दल के द्वारा दिनांक-02.11.2021 को परिवादी श्री विनोद प्रसाद गुप्ता से रु० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) रिश्त लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश निगरानी, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहाँ से श्री प्रसाद को न्यायिक हिरासत में शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर भेजा गया है।

(2) श्री अविनाश कुमार झा, निगरानी थाना पु०अ०नि०, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के द्वारा दिनांक-01.11.2021 को परिवादी श्री विनोद कुमार गुप्ता द्वारा दिये गये परिवाद पत्र में लगाये गये आरोप की सत्यता से संबंधित जाँच प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक-सह-थानाध्यक्ष, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना को भेजा गया है, जिसमें अंकित है कि "परिवादी श्री विनोद कुमार गुप्ता द्वारा परिवाद पत्र में आरोप लगाया गया है कि श्री हसमत अली, पिता-हाजी रसूल महम्मद के द्वारा इन्हे इनकी माँ और

इनके पिता के नाम चार किता बयनामा रजिस्ट्री सन 1987 में किया गया। इस जमीन का खाता संख्या 72 खेसरा सं० 1060/2, 1059/2, 1060/1, 1059/1 है। कुल जमीन चार कट्टा ढाई धुर जमीन, जो बेतिया अंचल में अवस्थित है। इस जमीन का दाखिल खारिज हो गया है तथा नियमित रसीद अंचल बेतिया में कट रहा है। सकीला खातुन जो इस जमीन के विक्रेता हसनत अली के भतीजा असरफ अली की विधवा पत्नी है। जमीन के बिक्री के समय इनके पति गवाह बने हैं। फिर भी सकीला खातुन श्री श्यामाकांत प्रसाद, अंचल अधिकारी एवं भू-माफिया के मदद से परिवारी को इस जमीन पर निर्माण कार्य करने से रोका गया। अंचल अधिकारी, श्री श्यामाकांत प्रसाद के द्वारा अंचल अमीन को दिनांक-22.10.2021 को परिवारी को बगैर कोई पूर्व सूचना के जमीन मापी हेतु भेजा गया। पुनः दिनांक-29.10.2021 को जमीन पर निर्माण कार्य को रोकने वास्ते पुलिस भी सकीला खातुन के साथ अंचल अधिकारी, श्यामाकांत प्रसाद के ईशारे पर निर्माण कार्य को रोक दिया गया। परिवारी जब अंचल अधिकारी से मिलने गये तो जमीन के मामले को रफा-दफा करने के एवज में अंचल अधिकारी, श्री श्यामाकांत प्रसाद द्वारा रु० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) रिश्वत की मांग की गयी। परिवार पत्र में लगाये गये आरोप के सत्यापन हेतु परिवारी के साथ दिनांक-01.11.2021 को सुबह करीब 07 बजे कमलनाथ नगर, नियर सुप्रिया सिनेमा, उनके निजी आवास पर पहुंचा। जहाँ परिवारी ने आरोपी श्री श्यामाकांत प्रसाद, अंचल अधिकारी, बेतिया अंचल से मुलाकात कर अपने रुके कार्य को पूरा करने हेतु पूछा। आरोपी श्री श्यामाकांत प्रसाद के द्वारा बोला गया कि रु० 5,00,000/- दीजिए आपका सारा काम करवा देते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने देंगे। परिवारी द्वारा पैसा (रिश्वत) ज्यादा होने एवं कम करने की बात कहने पर आरोपी के द्वारा तीन लाख रुपया देने की बात कही गई। परिवारी द्वारा अनुरोध करने पर ढाई लाख रुपया तय हुआ।

उक्त समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में निगरानी थाना काण्ड सं० 45/11 दिनांक-01.11.2021 धारा-7(a) भा०नि०अधि०, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) अंकित किया गया। तत्पश्चात् दिनांक-02.11.2021 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावा दल द्वारा परिवारी श्री विनोद प्रसाद गुप्ता से रु० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) रिश्वत लेते श्री श्यामाकांत प्रसाद, प्रभारी अंचल अधिकारी, बेतिया को रंगे हाथों गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश निगरानी, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत में शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर भेजा गया है। इस गिरफ्तारी से स्पष्ट होता है कि श्री प्रसाद के विरुद्ध एतद संबंधी आरोप उनकी अनैतिकता, भ्रष्ट आचरण, पद का निजी लाभ हेतु दुरुपयोग का परिचायक है। इनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रतिकूल है। अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में परिवारी श्री विनोद प्रसाद गुप्ता से रु० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाना श्री प्रसाद के भ्रष्ट आचरण को प्रमाणित करता है।

(3) निगरानी थाना कांड सं०-045/2021 दिनांक-01.11.2021 के क्रम में गठित धावा दल के द्वारा दिनांक-02.11.2021 को परिवादी श्री विनोद प्रसाद गुप्ता से रु० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) रिश्वत लेते हुए श्री श्यामाकांत प्रसाद, प्रभारी अंचल अधिकारी, बेतिया को रंगे हाथ गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश निगरानी, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहाँ से श्री प्रसाद को न्यायिक हिरासत में शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर भेजा गया है। इस आरोप में श्री प्रसाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-9 की कण्डिका की उप कण्डिका-'क' एवं 'ग' तथा कण्डिका 2 की उप कण्डिका 'क' में अन्तर्निहित प्रावधानों के आलोक में गिरफ्तार किये जाने की तिथि-02.11.2021 के प्रभाव से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक-1021(14)/रा०, दिनांक-27.12.2021 द्वारा निलंबित किया गया है।

3. प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक-266(14), दिनांक-25.03.2022 द्वारा आरोपी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में आरोपी द्वारा दिनांक-09.05.2022 को अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया। आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प सं०-1356(15), दिनांक-06.09.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए अपर समाहर्ता, प० चम्पारण, बेतिया को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय पत्रांक-575(15), दिनांक-23.03.2023 द्वारा संचालन पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी, जिसके आलोक में संचालन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक-139 प्र०/रा०, दिनांक-29.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालनोपरान्त जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन में सभी आरोपों को प्रमाणित अंकित किया गया, प्रमाणित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक-1438(15), दिनांक-27.07.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री प्रसाद द्वारा दिनांक-08.08.2023 से द्वितीय कारण पृच्छा विभाग में समर्पित किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी से द्वितीय कारण-पृच्छा अभ्यावेदन की मांग की गई जिसके आलोक में आरोपी पदाधिकारी द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें अंकित किया गया कि परिवादी द्वारा दबाव बनाये जाने के बावजूद उनके हित में प्रश्नगत जमीन की मापी एवं सीमांकन से संबंधित गलत काम नहीं किए जाने के कारण उनके द्वारा निगरानी विभाग के पदाधिकारियों से मिलीभगत कर षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया, लेकिन इस संबंध में उनके द्वारा कोई साक्ष्य/तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। आरोपी पदाधिकारी द्वारा यह भी अंकित किया गया कि जब आरोप की सुनवाई निगरानी न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा यह भी उल्लिखित किया गया कि उनकी सेवानिवृत्ति के उपरांत आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई है जो नियम संगत नहीं है।

आरोप, उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण-पृच्छा अभ्यावेदन के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि आरोपी पदाधिकारी को परिवादी से रिश्वत के रूप में 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया और संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। आरोपी पदाधिकारी का यह गंभीर कृत्य घोर कदाचार की श्रेणी में आता है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा अभ्यावेदन में यह कहना कि उन्हें परिवादी द्वारा निगरानी विभाग के पदाधिकारियों से मिलीभगत कर षड़यंत्र के तहत फंसाया गया, कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरोपी पदाधिकारी द्वारा इस संदर्भ में कोई साक्ष्य/तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही आरोपी पदाधिकारी का यह तर्क कि उनकी सेवानिवृत्ति के उपरांत आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई, जो नियम संगत नहीं है, कतयी स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि सेवानिवृत्ति के उपरांत विगत चार वर्ष की अवधि तक में घटित घटना के लिए आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा यह कहना कि निगरानी न्यायालय में मामला विचाराधीन रहने की स्थिति में उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का कोई औचित्य नहीं है, कही से भी स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि किसी भी मामले में एक ही साथ न्यायिक कार्यवाही एवं विभागीय कार्यवाही संचालित की जा सकती है। इससे स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने द्वितीय कारण-पृच्छा अभ्यावेदन में कोई भी ऐसा नया तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जो उनके बचाव के कारगर सिद्ध हो सके, बल्कि पुरानी बातों को ही दुहराया गया है। इसलिए आरोपी पदाधिकारी का द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

5. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार सम्यक विचारोपरान्त श्री श्यामाकांत प्रसाद, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सदर बेतिया, पश्चिम चम्पारण सम्प्रति सेवानिवृत्त को उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-139(ग) के तहत विभागीय संकल्प संख्या-2205 दिनांक-28.12.2023 द्वारा "शत प्रतिशत (100%) पेंशन कटौती" का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त किया गया।

6. उक्त अनुशासनिक कार्रवाई के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-3549/2024 श्यामाकान्त प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक-10.07.2025 का कार्यकारी अंश "Taking into consideration the above, this Court finds that this is a case of no evidence. Thus, on this ground only the entire enquiry report as well as impugned orders are liable to be set aside." के विरुद्ध एल0पी0ए0 दायर करने के बिन्दु पर विद्वान महाधिवक्ता, बिहार का परामर्श प्राप्त किया गया। विद्वान महाधिवक्ता, बिहार द्वारा "The querist department should refrain from filing LPA. In the totality of circumstances, this would be also be in consonance with the aim and objective defined in the Bihar State Litigation Policy, 2011" का परामर्श प्राप्त हुआ।

7. विद्वान महाधिवक्ता, बिहार एवं विधि विभाग के परामर्श के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लू०जे०सी० सं०-3549/2024 श्यामाकान्त प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक-10.07.2025 के अनुपालन में विभागीय संकल्प सं०-2205(15) दिनांक-28.12.2023 के तहत अधिरोपित "शत प्रतिशत (100%) पेंशन कटौती" दंड को निरस्त करते हुए सभी अनुमान्य सेवान्त लाभ दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(गिरधारी लाल),

संयुक्त सचिव।

निबंधित/  
ई-मेल

ज्ञापांक-15/सी०डब्लू०जे०सी० (प० चम्पारण) 09-19/2024- (15)/रा०, पटना-15, दिनांक-  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(गिरधारी लाल),

संयुक्त सचिव।

निबंधित/  
ई-मेल

ज्ञापांक- 15/सी०डब्लू०जे०सी० (प० चम्पारण) 09-19/2024- (15)/रा०, पटना-15, दिनांक-  
प्रतिलिपि :- श्री श्यामाकान्त प्रसाद, निर्लंबित अंचल अधिकारी सम्प्रति सेवानिवृत्त पता- सरकार बाजार, कमलनाथ नगर, नियर-संत माईकल स्कूल, जिला-पश्चिमी चम्पारण को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(गिरधारी लाल),

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 15/सी०डब्लू०जे०सी० (प० चम्पारण) 09-19/2024- (15)/रा०, पटना-15, दिनांक-  
प्रतिलिपि :-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-3, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(गिरधारी लाल),

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 15/सी०डब्लू०जे०सी० (प० चम्पारण) 09-19/2024-1390 (15)/रा०, पटना-15, दिनांक-28/08/26  
प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(गिरधारी लाल),

संयुक्त सचिव।